



**Stop Corona:**  
Wash your hands  
Wear Mask  
Maintain Social Distance

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI: DELHI JAL BOARD  
OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER (RR)  
ROOM NO. 311-A, VARUNALAYA PHASE-II,  
KAROL BAGH, DELHI-110005

No. F.1 (4)/AC (RR)/2022/ D-52 to D-55

Dated:- 02-05-2022

**The Secretary,**  
Union Public Service Commission,  
Dhoul Pur House, Shahjahan Road,  
NEW DELHI-110011.

**Kind Attention: - Sh. S.K. Mishra, Under Secretary (RR)**

**Subject: - Regarding copy of Gazette notification of Recruitment Rules for the post of Assistant Chief Water Analyst (ACWA) in Delhi Jal Board.**

Sir,

Please find enclosed herewith the copy of Gazette Notification dated 20.04. 2022 of Recruitment Rules for the post of Assistant Chief Water Analyst in Delhi Jal Board for necessary action and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

Encl: As above

**(VIRENDER SINGH)**  
**ASSTT. COMMISSIONER (RR)**

Copy to:

1. Director (A&P): For information, please
2. AC (T): Alongwith copy of above said notification for the post of Assistant Chief Water Analyst for record and necessary action. In case of any discrepancy is found in the RRs, same may be intimated to this office.
3. EE (EDP): Alongwith copy of above said notification for the post of Assistant Chief Water Analyst for uploading on website of Delhi Jal Board.

**ASSTT. COMMISSIONER(RR)**

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28042022-235407  
SG-DL-E-28042022-235407

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/वैशाख 7, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 45
No. 258	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/VAISAKHA 7, 1944	[N. C. T. D. No. 45

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

फां. सं. 16(826)/श0वि0/जल/2021/402.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 21.06.2019 के आदेशों के अनुसार तथा दिनांक 31.5.2021 के पत्र सं0 2628 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 22.09.1997 की अधिसूचना संख्या फा0 16(11)/97/श0वि0/12157 द्वारा अधिसूचित सहायक मुख्य जल विश्लेषक भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में सहायक मुख्य जल विश्लेषक के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:— (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड सहायक मुख्य जल विश्लेषक के पद के भर्ती विनियम, 2022 कहा जाये।  
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

